एडवांस केयर प्लैनिंग क्या है ?

एडवांस केयर प्लैनिंग बताती है कि भविष्य में जब आप अपने बारे में कुछ कहने लायक नहीं होते तो आप अपनी देखभाल किस तरह करवाना चाहेंगे। इसके अनुसार आप किसी और व्यक्ति को यह इजाज़त दे सकते हैं कि वह आपके लिये यह निश्चित करे कि आपकी इच्छानुसार देखभाल की जाये। यह व्यक्ति आपका सबस्टीट्यूट डिसीज़न मेकर होगा।

एडवांस केयर प्लैनिंग के क्या फायदे हैं ?

फायदों में शामिल हैं – अपने विश्वास एवम् मूल्यों के अनुसार अपनी देखभाल को प्लैन करना, उस समय भी अपनी पसंद से देखभाल करवाना जब आप स्वयं फैसला करने लायक नहीं होते हो, देखभाल करने वालों को आपको सभांलने और इलाज करने के लिये पूरी हिदायतें देना, आपके नज़दीकी सदस्यों को आपकी देखभाल का फैसला खुद करने में कम परेशानी। एडवांस केयर प्लैनिंग में आपकी मरज़ी और फैसला मायने रखता है।

संस्था

a member of

The Mississauga Halton Local Health Integrated Network

इस दस्तावेज़ में स्टाफ, मरीजों/निवासियों तथा उनके सबस्टीट्यूट डिसीज़न मेकर की सहायता के लिये एडवांस केयर प्लैनिंग के लिये हिदायतें दी गयी हैं। इसमें सभी कानूनी विकल्प शामिल नहीं हैं। इसका मकसद कानूनी सलाह देना नहीं है। इसमें अधिनियम के कुछ कानूनी शब्दों को सरल भाषा में बताया गया है ताकि वे आसानी से समझ में आ जायें।

एडवांस केयर प्लैनिंग

आपके भविष्य की देखभाल को प्लैन करने के लिये एक गाईड

Funded by the Mississauga Halton Local Health Integrated Network

adapted from the Central-West Local Health Integrated Network Initiative

क्या एडवांस केयर प्लैनिंग को लिखने की ज़रूरत है ?

नहीं, इसे लिखना ज़रूरी नहीं है। इसे किसी भी रूप में बताया जा सकता है।जैसे कि जुबानी, ऑडियो या विडियो टेप में रिकार्ड कर के। आपके पूरे होश में किये हुए फैसले को ही कानूनी मान्यता प्राप्त होगी।

क्या हैल्थ केयर प्रैक्टिशनर तथा आपके सबस्टीट्यूट डिसीज़न मेकर को आपके किये फैसले को मानना ज़रूरी है ?

हां, अगर आप अब अपने लिये फैसला लेने लायक नहीं रहे तो हैल्थ केयर प्रैक्टिशनर तथा आपके सबस्टीट्यूट डिसीज़न मेकर को आपके एडवांस केयर प्लैनिंग के बारे में किये गये फैसले को मानना ज़रूरी है।

क्या एडवांस केयर प्लैन को बदला जा सकता है ?

हां, जब तक आप अपने लिये फैसला लेने लायक हो आप अपने प्लैन को कभी भी बदल सकते हो। लोगों के लिये अपने प्लैन को हर साल दोहराना फायदेमंद साबित हो सकता है खास तौर पर जब परिवार में कोई बड़ी तबदीली हो।जैसे कि किसी नज़दीकी सदस्य की मौत, तलाक, किसी सदस्य को कोई खतरनाक बीमारी होने पर या मौजूदा सेहत में कोई ज़्यादा उतराव चढ़ाव आने पर।

एडवांस केयर प्लैन किस तरह बनाई जा सकती है ?

सबसे पहले, अपने मूल्यों एवम् विश्वास के आधार पर अपनी सेहत की देखभाल के बारे में फैसला करें।ज़्यादा जानकारी हासिल करने के लिये आप अपने डॉक्टर या अन्य हैल्थ केयर प्रैक्टिशनर के साथ बातचीत कर सकते हो।अपने धार्मिक लीडर या वकील के साथ बातचीत करना भी मददगार साबित हो सकता है।

दूसरा, इन खास फैसलों के बारे में उन व्यक्तियों से बातचीत करें जो आप के बारे में फैसला करेंगे।आपका सबस्टीट्यूट डिसीज़न मेकर कौन बनेगा इसके बारे में फैसला करें और उसे नियुक्त करें। तसल्ली करें कि जिस आदमी को आपने अपना फैसला करने के लिये चुना है वह आपके लिये फैसला करने के लिये तैयार हो जब आप इस काबिल नहीं होंगे।

इसके बाद निश्चित करें कि आप अपनी देखभाल सम्बन्धी इच्छायें और प्लैन को साफ तौर पर, बातचीत द्वारा लिख कर, ऑडियो टेप द्वारा या विडियो टेप द्वारा अपने सबस्टीट्यूट डिसीज़न मेकर तक पहुंचा सकें।यह जानकारी अपने डॉक्टर या अन्य हैल्थ केयर प्रैक्टिशनर के साथ बांटना भी फायदेमंद हो सकता है।

क्या एडवांस केयर प्लैन बनाना ज़रूरी है ?

नहीं यह आपकी मरज़ी है कि आप यह प्लैन बनाना चाहते हैं या नहीं

एडवांस केयर प्लैन कब लागू हो सकता है ?

इस प्लैन द्वारा की गई इच्छायें तब लागू होंगी जब आप अपने लिये फैसला लेने लायक नहीं होंगे।

अन्य जानकारी :

A Guide to Advance Care Planning
Government of Ontario

Living Will
U of T Joint Centre for Bioethics
www.utoronto.ca/jcb

Let Me Decide
D.W. Molloy, 2004

Office of the Public Guardian and Trustee

www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca

Advocacy Centre for the Elderly
www.advocacycentreelderly.org

Consent and Capacity Board
www.ccboard.on.ca

Health Care Consent Act of Ontario
www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_96h02_e.htm